



# प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

7वां, 8वां तल, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, प्रयागराज, उ०प्र०

ई-मेल आईडी: aldda@rediffmail.com

एन०आई०टी० सं० : 44 / मु०अ० / वि०प्रा० / 2024

दिनांक : 12, सितम्बर, 2024

## ई-निविदा आमंत्रण सूचना

प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न तालिका में अंकित कार्य हेतु प्र०वि०प्रा० में सुसंगत श्रेणी में पंजीकृत एवं अपेक्षित अर्हता रखने वाली फर्मों/ठेकेदारों से कार्य की निविदा सपठित नियम व शर्तों के अधीन एकल बिड पद्धति में आमंत्रित की जाती है:-

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु० लाख में)	धरोहर राशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र मूल्य GST सहित (रु० में)	निर्धारित श्रेणी	कार्य अवधि	निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
नगरीय अवस्थापना विकास निधि से आच्छादित कार्य							
सिविल कार्य							
1	बोट क्लब में स्थित एप्रोच सड़क को नमामि गंगे की बाउण्ड्रीवाल से नदी तक भाग को जोड़ने का कार्य।	8.59	0.18	236/-	सिविल श्रेणी-ई	01 माह	21-09-2024 02:00 PM
2	बोट क्लब प्रयागराज को एप्रोच मार्ग को अवैध वाहनों के आवागमन रोकने हेतु गेट का निर्माण कार्य।	1.31	0.03	118/-	सिविल श्रेणी-ई	01 माह	19-09-2024 02:00 PM

### नियम व शर्त:-

- निविदा शुल्क (नॉन रिफण्डेबल) या धरोहर राशि की रसीद निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- विस्तृत विवरण सहित निविदा प्रपत्र दिनांक 13-09-2024 को अपराह्न 02:00 बजे से प्रयागराज विकास प्राधिकरण की वेबसाइट [www.pdaprayagraj.org.in](http://www.pdaprayagraj.org.in) पर प्राप्त एवं देखे जा सकते हैं।
- उपरोक्त निविदाएं अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय कक्ष में रखे निविदा बाक्स में प्राप्त की जायेंगी।
- प्राप्त निविदायें निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि वाले दिवस पर अपराह्न 3:00 बजे प्राधिकरण सभागार में खोली जायेंगी।
- विशिष्ट श्रेणी के कार्य हेतु प्राधिकरण में पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है।
- निविदा आमंत्रण सूचना से सम्बन्धित संशोधन/परिमार्जन समाचार पत्र में प्रकाशित न कर उक्त वेबसाइट पर ही अपलोड किये जायेंगे।
- प्र०वि०प्रा० में अपंजीकृत फर्म का सफल निविदादाता होने पर उसको अनुबन्ध से पूर्व प्राधिकरण में पंजीकरण कराना होगा।
- निविदा मूल्य व जमानत (धरोहर) धनराशि यूको बैंक, मुख्य शाखा, सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज में प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज के खाता संख्या-00320204000449 IFSC : UCBA0000032 में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करते हुए प्राप्त यू०टी०आर० स्लिप (पृथक-पृथक) की स्कैन कापी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- यदि किसी कारणवश निविदा खोले जाने की तिथि को यदि अवकाश है तो उसके ठीक अगले कार्य दिवस में निविदा खोली जायेगी।
- निविदादाता को आयकर विभाग, श्रम विभाग एवं जी०एस०टी० विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है। शासन द्वारा समय-समय पर लागू आयकर, लेबर सेस एवं अन्य करों की कटौती पूर्व की भांति ठेकेदार के बिलों से नियमानुसार की जायेगी। जी०एस०टी० नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
- निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले सभी प्रपत्रों को निविदादाता द्वारा स्वहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।
- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- निविदादाता स्वयं स्थल देख लें और सही स्थिति से संतुष्ट होने के बाद ही निविदा में दरें अंकित करें। निविदा की दी गई दरें 03 माह तक मान्य होगी।
- निविदा दर 10% से अधिक निम्न होने की स्थिति में लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-622/23-12-2012/08टी०सी० दिनांक 08-06-2012 के अनुसार अतिरिक्त सिक्वोरिटी/परफॉरमेन्स गारण्टी निविदा धनराशि पर देय होगी।

15. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर लगाये गये कर्षों सहित नियमानुसार अन्य कट लोक निर्माण विभाग व शासन द्वारा जारी नियमों के अनुसार फर्म/ठेकेदार के चलित देयक से की जायेगी।
16. निविदा स्वीकृति की दशा में निविदादाता को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम अधिनियम-1996 के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व श्रम विभाग में पंजीयन सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।
17. निविदादाता को निविदा में दर्शित मदों के समान प्रकृति के कार्य का अनुभव संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में निविदा मान्य नहीं होगी।
18. निविदा सूचना प्राधिकरण की वेबसाइट pdaprayagraj.org.in पर पर देखे एवं अपलोड किये जा सकते हैं। इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइट को समय-समय पर देखते रहें। निविदाओं के सम्बन्ध में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन व अतिरिक्त सूचनाएं उक्त वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
19. कार्य की मात्रा में कमी/बढ़ोत्तरी अथवा विभाजित करने अथवा किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसके विरुद्ध निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
20. विशिष्ट श्रेणी के कार्यों हेतु किसी भी विकास प्राधिकरण/शासकीय विभाग में पंजीकृत फर्म निविदा में प्रतिभाग कर सकती है। प्राधिकरण में अपंजीकृत सफल निविदादाता को प्र0वि0प्रा0, प्रयागराज में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा एवं प्रयागराज विकास प्राधिकरण में पंजीकृत फर्मों को नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
21. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के गलत पाये जाने पर कार्य/अनुबन्ध की स्वीकृति को तत्काल निरस्त करते हुए ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर/जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा ठेकेदार को काली-सूची में डाल दिया जायेगा। कार्य सम्पादन में विलम्ब किये जाने पर निविदा में प्रतिभाग करने से डिबार कर दिया जायेगा।
22. स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत व्यक्ति एवं आपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है। साथ ही यदि निविदादाता का सगा सम्बन्धी (First Blood Relation & their dependent) प्रयागराज विकास प्राधिकरण में कार्यरत है तो उसे भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
23. निविदादाता को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उसका अथवा उसके पति/पत्नी का अथवा उसके किसी भी पार्टनर अथवा पार्टनर के पति/पत्नी का निकट का रिश्तेदार (पिता, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, भाई, बहन) प्रयागराज विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं हैं। यदि किसी भी समय इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त करते हुए फर्म को कालीसूची में डाल दिया जायेगा।
24. निविदादाता को प्रस्तर-22 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त एक घोषणा पत्र इस आशय का देना आवश्यक होगा कि प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा में जिसमें वह भाग ले रहा है उसमें उसके रिश्तेदार, सम्बन्धी या सम्बन्धी की फर्म या कम्पनी भाग नहीं लेगी। इसके विपरीत यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा प्राधिकरण में इन तथ्यों को छिपाया गया है अथवा किसी समय इनकी अवहेलना की गई है तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह आवेदक का पंजीकरण अविलम्ब निरस्त कर दे और उसके पक्ष में यदि कोई कार्य आवंटन है तो उसको भी समाप्त करते हुए उसकी जमा धनराशि को प्राधिकरण अविलम्ब जब्त कर लेगा।
25. आवेदक या पंजीकृत किये जाने वाले ठेकेदार पर कम्प्लेन एक्ट, 2002 के समस्त प्राविधान लागू होंगे और उनकी अवहेलना करने पर प्राधिकरण को सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।
26. विद्युत सम्बन्धी कार्य हेतु विद्युत सुरक्षा, य0पी0पी0सी0एल0 से अनुमोदन लेने एवं कार्य को य0पी0पी0सी0एल0 को हस्तान्तरित किये जाने की जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।
27. यदि कोई निविदादाता बिड रिगिंग/Bid Collusion में सम्मिलित पाया जाता है अथवा निविदा की स्वस्थ प्रतियोगिता की प्रक्रिया को किसी भी प्रकार से दूषित करता है तो उसे भविष्य में होने वाली निविदा में प्रतिभाग करने हेतु प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।
28. प्राधिकरण में सभी निर्माण/विकास/अनुरक्षणीय कार्यों हेतु डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 02 वर्ष निर्धारित है।
29. 50% निर्धारित समय अवधि के पश्चात् कार्य की वित्तीय प्रगति 25% से कम होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को कार्य समापन तक प्राधिकरण की निविदाओं में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रतिबन्धित किया जायेगा।
30. निविदादाताओं को निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि की RTGS/NEFT के माध्यम से जमा होने की स्लिप/रसीद की मूलप्रति निविदा खोलने के अगले कार्य-दिवस में सम्बन्धित अधिशासी अभियंता के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

मुख्य अभियन्ता